भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2034

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

यौन हिंसा के पीड़ितों के हेतु प्राटोकॉल

2034. श्री हैबी ईडनः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः
श्री वैत्री बेहननः
श्री के. सुधाकरनः
कुमारी सुधा आर.:
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) यौन हिंसा के पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से पहले समय पर चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक देखरेख सुनिश्चित करने के लिए लागू प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है, और सरकार किस तरह से इन प्रोटोकॉल के अनुपालन की निगरानी और इसमें सुधार कर रही है:

(ख) यौन और लिंग आधारित हिंसा के व्यापक ज्ञान को भारत के चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम और पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यौन हिंसा की अनिवार्य पुलिस रिपोर्टिंग (एमपीआर) के ढांचे के भीतर एक गुमनाम डेटा रिपोर्टिंग तंत्र की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित उपायों का ब्यौरा क्या है और पीड़ितों को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने में ये उपाय किस हद तक प्रभावी रहे हैं:

(घ) क्या यौन हिंसा के लिए एमपीआर के कार्यान्वयन ने वन-स्टॉप सेंटर सेवाओं के उपयोग और प्रभावशीलता को प्रभावित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में चिन्हित किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफएंडडब्ल्यू) ने यौन हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों की चिकित्सकीय कानूनी देखरेख के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल नामक एक दस्तावेज तैयार किया है जिसका उद्देश्य यौन हिंसा के मामलों में संपर्क, उपचार और दस्तावेजीकरण में एक निश्चित सीमा तक एकरूपता लाना है। इन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका, चिकित्सा जांच और रिपोर्टिंग, पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखरेख, पुलिस और न्यायपालिका जैसी अन्य एजेंसियों के साथ इंटरफेस के लिए दिशानिर्देश आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए हैं।

(ख) इन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में निम्न उद्देश्यों के साथ विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं:-

i. यौन हिंसा के प्रति स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रिया को मजबूत करने में प्रमुख चुनौतियों, बाधाओं और अंतराल की पहचान करना।

ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों की समझ विकसित करना तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाना।

iii. ऐसी विशिष्ट सेवाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्य की क्षमता का निर्माण करना।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच यौन हिंसा के पीड़ितों की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया देने की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का दस्तावेज़ीकरण और साझा करना।

v. इस बात पर जोर देना कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों/उत्तरजीवियों को किसी भी अस्पताल, चाहे वह अस्पताल सरकारी हो या निजी, में मुफ्त इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की परिव्यय इकाइयों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध और किशोर न्याय के लिए पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1	2021-22	10	813
2	2022-23	08	181
3	2023-24	05	540
	कुल	**23**	**1534**

इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्भया फंड योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और बीपीआरएंडडी की बाहरी इकाइयों द्वारा महिला सुरक्षा पर जांचकर्ताओं और अभियोजकों के लिए आयोजित पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या**		**प्रशिक्षित जांचकर्ताओं/अभियोजकों की संख्या**		**जांचकर्ताओं/ अभियोजकों के लिए आयोजित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या**	**प्रशिक्षित जांचकर्ताओं/ अभियोजकों की कुल संख्या**
		जांचकर्ता	अभियोजन पक्ष	जांचकर्ता	अभियोजन पक्ष		
1	2021-22	238	33	6509	902	271	7411
2	2022-23	87	15	2103	288	102	2391

3	2023-24	205	22	5461	583	227	6044
	कुल	**530**	**70**	**14073**	**1773**	**600**	**15846**

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के विरूद्ध अपराध की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि गृह मंत्रालय ने महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामलों सहित संज्ञेय अपराध के मामलों में सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत एफआईआर या जीरो एफआईआर (यदि अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया हो) के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16 मई, 2019 को एडवाइजरी जारी की है और सूचित किया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में विफलता दंडनीय अपराध है।

(घ) और (ड़) सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी तथा सार्वजनिक स्थानों पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करना है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला देना है। अब तक सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 816 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 785 ओएससी कार्यशील हैं। इन ओएससी के माध्यम से शुरूआत के बाद से दिनांक 31 मई 2024 तक 9.19 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है।।

*****